



Email: cswriavikanagar@yahoo.com दूरभाष : 01437-220177 फ़ैक्स नं. 91-01437-220163

भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला-टोंक (राजस्थान) – 304501

ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute
Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501



Dated 6-4-2018

NOTICE INVITING TENDER THROUGH E-PROCUREMENT

Online Bids are invited from the interested firms under two bid system for **Job contract for production of Anjan Grass at various sector under the Farm Section of the Institute** at ICAR-CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE, AVIKANAGAR, MALPURA, DISTT. TONK, RAJASTHAN, PIN 304501.

Manual bids shall not be entertained.

Tender documents may be downloaded from e-Procurement website of CPP <https://eprocure.gov.in/> and www.cswri.res.in as per the schedule as give in CRITICAL DATE SHEET as under:

CRITICAL DATE SHEET

Tender No.	SP/contract proposal/2017-18/
Date and Time for issue/Publishing	7-4-2018 at 3-00 PM
Document Download/Sale start date and time	8-4-2018 at 3.00 PM
Bid Submission Start Date and Time	8-4-2018 at 3-00 PM
Bid Submission End Date and Time	27-4-2018 at 3.00 PM
Date and Time for Opening of Bids	28-4-2018 at 3.00 PM
Tender fee and Earnest money Security money	Tender fee – Rs.500/- Earnest money – Rs.23,000/- Security money – 5 % of contract amount
Bank detail	ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable State Bank of India Branch – Malpura Tonk Rajasthan
Address for Communication	Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar,Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501

Administrative Officer

INSTRUCTIONS FOR ONLINE BID SUBMISSION

- 1- The tender form/bidder documents may be downloaded from website: <https://eprocure.gov.in>. Online submission of Bids through Central Public Procurement Portal (<https://eprocure.gov.in>) is mandatory. **Manual/Offline bids shall not be accepted under any circumstances.**
- 2- Tenders/bidders are requested to visit website <https://eprocure.gov.in> regularly. Any changes/modifications in tender enquiry will be intimated by corrigendum through this website only.
- 3- In case, any holiday is declared by the Government on the day of opening, the tenders will be opened on the next working day at the same time. The Institute reserves the right to accept or reject any or all the tenders.
- 4- The interested Firms are required to deposit (in original) **Tender Fee of Rs.500/-** (Non-refundable) in the shape of Demand Draft prepared in favour of **ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable at SBI, MALPURA may be addressed to the Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501** on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.
- 5- The interested Firms are required to deposit (in original) and Earnest Money Deposit (EMD) of the amount mentioned against item in the form of Demand Draft/FDR from any of the Nationalised Bank **in favour of ICAR UNIT -CSWRI, Avikanagar payable at SBI, MALPURA** may be addressed to the Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501 on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.
- 6- The firm should send the Original brochures of the product and may be addressed to the **Administrative Officer, CSWRI, Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501 on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.**
- 7- Bidders need not be come at the time of Technical as well as financial bid opening at ICAR-CSWRI, Avikanagar. They can view live bid opening after login on CPP e-Procurement Portal at their remote and, If bidder wants to join bid opening event at ICAR-CSWRI, Avikanagar then they have to come with bid acknowledge slip that generates after successfully submission of online bid.

The Firms are also required to upload scanned copies of the following documents:

1. Scanned copy of Firm Registration certificate
2. Scanned copy of Pan card
3. Scanned copy of GST Certificate. In case, if contractor is not eligible for GST ,a certificate is required showing his turnover less than Rs.20 lakhs of his claim is to be sustained by documentary evidence like ITR (Income Tax Return),balance sheet, profit & Loss Statement etc.
4. Scanned copy of ESI and EPF Registration
5. Scanned copy of D.D. of Tender Fee
6. Scanned copy of D.D. of E.M.D.
7. Scanned copy of Acceptance letter

All necessary documents in support of the details for S.No. 1 to 7 must accompany the technical bid. The bid is liable to be rejected in case documents are not uploaded in the technical bid on CPP Portal, documents are incomplete or in case any certification/registration has already expired but is yet to be renewed. Only essential and necessary valid documents are to be uploaded in the technical bid. Please avoid uploading extraneous and irrelevant documents which unnecessary cause confusion.

Administrative Officer

भा.कृ.अ.प.—केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर
तहसील—मालपुरा, जिला—टोंक, राजस्थान —304 501

क्रमांक: 6(307)एसपी/2016/

दिनांक: 6.4.2018

निविदा प्रपत्र सूची

प्रक्षेत्र अनुभाग के विभिन्न खण्डों पर अंजन घास के उत्पादन हेतु अनुबन्ध

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	अनुमानित समय अवधि	अनुमानित मात्रा	दर रूपये
1	अंजन घास/गिन्नी/ब्ल्युपेनिक/नेपियर की बुवाई करना/ आव यकतानुसार पुनः बुवाई करना । (बुवाई का कार्य मजदूरों से टिलर के कुंडो में सैक्टर प्रभारी के निर्देशानुसार करना होगी)	जुलाई, 2018 से अगस्त , 2018	30 हैक्टर	प्रति हैक्टर
2	प्रक्षेत्र में नये व पुराने अंजन घास/गिन्नी/ब्ल्युपेनिक की निराई—गुडाई करना, जिसमें फसल अवधि के दौरान चरागाह खरपतवार रहित होना चाहिए एवं आव यकतानुसार यूरिया का झिड़काव करना ।	जुलाई, 2018 से अगस्त , 2018	100 हैक्टर	प्रति हैक्टर
3	विभिन्न प्रक्षेत्रों से अंजन घास /गिन्नी/ब्ल्युपेनिक के बीज एकत्रित कर सुखाना, साफ करना एवं भण्डारण करना ।	सितम्बर, 2018	35 किंवटल	110/- प्रति किलो
4	अंजन घास /गिन्नी/ब्ल्युपेनिक की कटाई से लेकर ढुलाई, तुलाई एवं भण्डारण के समस्त कार्य करना, चरागाह में लगे पेड़ों की देखभाल एवं सुरक्षा करना तथा कटाई व तुलवाने के बाद प पुधन सैक्टरों पर कुट्टी का कार्य करवाना होगा । (टेक्टर व कुट्टी म गीन संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा)	सितम्बर से दिसम्बर 2018	1800 किंवटल	प्रति किंवटल

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने निविदा में दर्शायी गई सभी नियम व शर्तें भली-भाँति पढ़ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझे व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्रपत्र में दर्शाये गये सभी कार्यों का पूर्ण ज्ञान है। मैं उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर **संस्थान के प्रक्षेत्र अनुभाग के अधीन विभिन्न कृषि सेक्टरों पर अंजन घास का उत्पादन करने** से संबंधित कार्य को अनुबन्ध/टेके के आधार पर सम्पन्न करवाने के क्रम में रेट कोन्टेक्ट/जॉब कोन्टेक्ट पर करने के लिये सहमत हूँ। मैं यह वचन देता हूँ कि संस्थान द्वारा समय-समय उपरोक्त दर्शाये गये कार्य के अतिरिक्त कार्य करवाया जावेगा तो उक्त दर्शायी गई दरों पर संस्थान में कार्य करूंगा तथा मैं प्रभारी, फार्म अनुभाग या उनके प्रतिनिधि से समय-समय पर सम्पर्क करके उनके निर्देशानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूँगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा और संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों से विनम्रता पूर्वक व्यवहार रखूँगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान/हस्तक्षेप करने/या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूँ तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

यह भी वचन देता हूँ कि मैं भारत/राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय-समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूँगा।

यह मेरे/हमारे संज्ञान में भली-भाँति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/हमें मान्य है। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कोन्टेक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मैं किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूँगा।

दिनांक —————

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील
पूरा पता
टेलीफोन/मोबाईल नं.

संस्थान के प्रक्षेत्र अनुभाग के अधीन विभिन्न कृषि सेक्टरों पर अंजन घास का उत्पादन करने से संबंधित कार्य करने के लिये

नियम व शर्तें

1. अनुबन्धकर्ता को प्रक्षेत्र के चॉदसेन, टाउन पीप, नयाकुआ एवं मझोला सैक्टरों के कार्यों को करवाने के लिए अलग-अलग प्रर्यवेक्षक नियुक्त कर प्रभारी फार्म/प्रभारी सैक्टरों के निर्दे ानुसार अनुबन्ध कार्य समय पर पूरे करवाने होंगे । अनुबन्ध कार्य को पूर्ण करवाने के लिए प्रभारी सैक्टरों के निर्दे ानुसार श्रमिकों का प्रबन्ध करना होगा ।
2. अंजन घास/गिन्नी/ब्ल्युपेनिक चरागाह में अगर बुवाई के बाद खाली जगह रहने पर अंजन घास की पुनः बुवाई की जावें जिसका अलग से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा ।
3. नये एवं पुराने अंजन घास चरागाह प्रक्षेत्र में झाड़ियों की सफाई, निराई-गुड़ाई करने के दौरान चरागाह खरपतवार रहित होना चाहिए ।
4. अंजन चरागाह/गिन्नी/ब्ल्युपेनिक से समय पर पक्का हुआ बीज को एकत्रित करना होगा जिसमें बीज की गुद्धता का घ्यान रखना होगा तथा संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा गठित समिति के समक्ष तुलवाकर फार्म अनुभाग के भण्डार में जमा कराना होगा ।
5. चरागाह प्रक्षेत्र से अंजन घास की कटाई प्रभारी फार्म अनुभाग/सैक्टर प्रभारी के निर्दे ानुसार मानवीय श्रम से करनी होगी तथा फसलों की तुलवाई धर्म कौंटे पर या निर्धारित स्थान पर भेड़ सैक्टरों पर गठित समिति द्वारा किया जावेगा एवं चारे को चारा डिपो में ठीक तरह से जमाना होगा ।
6. उक्त कार्य के लिये काम में आने वाले औजार व मजदूर अनुबन्धकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाना होगा । जुताई, बुआई व दुलाई के लिये टेक्टर संस्थान द्वारा उपलब्ध करवा दिया जावेगा ।
7. उपरोक्त सभी कार्यों की पूर्णता तभी मान्य होगी जब प्रभारी, प्रक्षेत्र व उनके प्रतिनिधि द्वारा कार्य सन्तोषजनक पूर्णता करने का प्रमाणित करेगे । उसके बाद ही भुगतान किया जावेगा यदि कार्य दिये गये माप-दण्डों के अनुसार पूर्ण नहीं किया गया तो किये गये कार्य की मात्रा के अनुसार भुगतान किया जावेगा ।
8. कृषि से सम्बन्धित सभी कार्य प्रभारी फार्म अनुभाग या उनके प्रतिनिधि के दिशा-निर्देशानुसार करना होगा ।
9. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर अनुबन्धकर्ता /उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी । तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी जावेगी ।
10. उपरोक्त सभी कार्यों की पूर्णता तभी मान्य होगी जब प्रभारी, प्रक्षेत्र व उनके प्रतिनिधि द्वारा कार्य सन्तोषजनक पूर्णता करने का प्रमाणित करेगे उसके बाद ही भुगतान किया जावेगा यदि कार्य दिये गये माप दण्डों के अनुसार पूर्ण नहीं किया गया तो किये गये कार्य की मात्रा के अनुसार भुगतान किया जावेगा ।
11. किसी भी कार्य को अपूर्ण या समय से पूर्व छोड़ने पर या सन्तोषजनक नहीं होने पर अनुबन्धकर्ता द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त करली जावेगी एवं अनुबन्ध को निरस्त कर दिया जावेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता होगी । एवं भविष्य के लिये कार्य भारत सरकार के नियमानुसार आवंटन नहीं किया जावेगा ।
12. अंजन घास की सुरक्षा के लिए बाहरी/आवारा जानवरों से घास को बचाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी । नुकसान पाये जाने पर अनुबन्धकर्ता को नुकसान की भरपाई करनी होगी ।
13. काटे गये सूखे चारे में अगर किसी तरह की अनावयक मिलावट पाई जाती है तो प्रभारी प्र-क्षेत्र/सक्षम अधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा जो भी निर्णय लिया जावेगा वह अनुबन्धकर्ता को स्वीकार्य होगा ।
14. अनुबन्धकर्ता द्वारा प्रत्येक मद में होने वाले खर्चे को मध्य नजर रखते हुये दर प्रस्तुत करे, क्योंकि किसी भी कार्य को परिस्थितिवश हटाया भी जा सकता है ।
15. मानसून एवं विविध कारणों से चारा उत्पादन एवं अन्य कार्य प्रभावित होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा संस्थान द्वारा किसी प्रकार का हर्जाना/क्षतिपूर्ति नहीं की जावेगी ।

कटौतियाँ:-

1. अनुबन्धकर्ता/प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की िथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई अथवा कोई नुकसान/ चोरी/क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूली स्वयं अनुबन्धकर्ता को नकद करनी होगी अन्यथा उनके देय बिल से काट ली जावेगी ।
2. अनुबन्धकर्ता को रात की रखवाली भी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी । यदि रात की रखवाली के दौरान बाहरी जानवरों द्वारा चारे को किसी प्रकार से नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई अनुबन्धकर्ता द्वारा प्रस्तुत दर प्रति क्विंटल के हिसाब से देय बिल में से की जावेगी । नुकसान का आकलन प्रभारी, प्रक्षेत्र / प्रभारी, सेक्टर / सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा ।
3. **variation clause subject to force measure** को देखते हुए प्रस्ताव की तय की गई निश्चित मात्रा से 20 प्रतिशत कम या 20 प्रतिशत अधिक होने पर कोई पेनल्टी क्लोज लागू नहीं होगा । परन्तु प्रस्ताव की तय की गई निश्चित मात्रा से 20 प्रतिशत से कम होने की दशा में, 20 प्रतिशत से कम हुई उत्पादन की मात्रा पर 10 प्रतिशत की कटौती की जा सकती है । इसी तरह तय की गई निश्चित मात्रा से 20 प्रतिशत से अधिक होने की दशा में 20 प्रतिशत से अधिक उत्पादन की मात्रा पर 90 प्रतिशत का ही भुगतान किया जावेगा ।
जैसे: यदि प्रस्ताव में उत्पादन की मात्रा 1000 क्विंटल रखी गई है यदि यह निर्धारित मात्रा 20 प्रतिशत कम उत्पादन होने पर अर्थात् 800 क्विंटल तक कोई पेनल्टी क्लोज लागू नहीं होगा परन्तु यदि इसकी उत्पादन मात्रा 800 से घटाकर 700 क्विंटल ही रह जाती है तो उस स्थिति में कम उत्पादन मात्रा 100 क्विंटल पर 10 प्रतिशत कम करके अर्थात् 690 मात्रा का ही भुगतान अनुबन्धकर्ता को किया जा सकेगा ।

ठीक इसी तरह यदि निश्चित की गई उत्पादन मात्रा 1000 क्विंटल है 20 प्रतिशत अधिक मात्रा उत्पादित होने पर अनुबंधकर्ता को अर्थात् 1200 क्विंटल तक कोई पेनल्टी क्लोज लागू नहीं होगा परन्तु यदि उत्पादित मात्रा 1200 से बढ़कर यदि 1400 क्विंटल हो जाने पर ऐसी स्थिति में 200 क्विंटल अधिक मात्रा पर 90 प्रतिशत मात्रा का ही भुगतान किया जावेगा । अर्थात् कुल मात्रा 1380 क्विंटल का ही अनुबंधकर्ता को भुगतान देय होगा ।

अनुबन्ध की सामान्य नियम व शर्तें:

1. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी, जिसे संतोषप्रद कार्य होने पर सक्षम अधिकारी चाहे तो कम या अनुबन्धकर्ता की आपसी सहमति से वर्तमान दर व नियम शर्तों पर एक वर्ष या अधिक तक बढ़ायी जा सकता है।
2. कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये उचित व न्यूनतम दर ही स्वीकार की जावेगी यदि आव यक हुआ तो दर के बारे में आपसी बातचीत भी की जा सकती है। निविदा भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम श्रमिक दर को पूर्ण नहीं करेगा तो उसे निरस्त समझा जावेगा।
3. अनुबन्ध कार्य में लगने वाले श्रमिकों की आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वे पूर्णरूपेण स्वस्थ होने चाहिये।
4. सफल ठेकेदार स्वयं की देखरेख में अनुबन्ध का कार्य करने के लिये कार्य आदेश प्राप्त करने से पूर्व लिखित में वचन (under taking) देना होगा की वे स्वयं रोजाना प्रभारी, प्रक्षेत्र से सम्पर्क करेंगे तथा अनुबन्ध का कार्य प्रभारी अधिकारी के दिशा-निर्देशानुसार सुचारू-रूप से करते रहेंगे ऐसा नहीं होने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है साथ ही उनके द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को भी जब्त किया जा सकता है।
5. अनुबन्ध की अवधि के दौरान ठेकेदार एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा।
6. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख-रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का EPF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
7. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय-समय पर होने वाले सं गोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार जी.एस.टी./आयकर (G.S.T. /Income Tax) एवं उस पर लगने वाले सरचार्जज राशि की भी कटौती की जावेगी।
8. ठेकेदार को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय-2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
9. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय-पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटो युक्त परिचय-पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर प्रक्षेत्र अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय-पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो (पहचान-पत्र) आव यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
10. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्च पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी जावेगी। अतः अनुबन्धकर्ता अनुबन्ध मिलने के साथ ही उसके अधीन कार्य करने वाले सभी कर्मिकों का बीमा अव यक करवा लें।
11. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 2 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
12. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
13. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
14. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रैक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रैक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
15. संस्थान के सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
16. सफल ठेकेदार को 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप क्रय अनुभाग से प्राप्त करना होगा।
17. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
18. यह सूचना इस संस्थान की वेबसाईट www.cswri.res.in & e-procure.gov.in पर उपलब्ध है।